रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, नवम्बर 18—नवम्बर 24, 2018, शनिवार/कार्तिक 27—अग्रहायण 3, 1940
No. 47] NEW DELHI, NOVEMBER 18—NOVEMBER 24, 2018, SATURDAY/KARTIKA 27—AGRAHAYANA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 370.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल नियम, 1922 में नियम 22 के उपनियम (I) के खंड (क) में उपखंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) जहां किसी अधिष्ठायी या अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में सावधिक पद से भिन्न कोई पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक, यथास्थिति, अधिष्ठायी, अस्थाई या स्थानापन्न हैसियत में ऐसी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए जो सुसंगत भर्ती नियमों में विहित की जाएं, किसी ऐसे अन्य पद पर प्रोन्नत या नियुक्त किया जाता है जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व उसके द्वारा धारित पद से संबंधित कर्तव्यों और दायित्वों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, वहां समय वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, एक वेतनवृद्धि देकर नियत किया जाएगा और उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर या सीधी भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों के सिवाय, सरकारी सेवक को यह विकल्प प्राप्त होगा जिसका वह, यथास्थिति, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक मास के भीतर प्रयोग कर सकेगा कि वह इस नियम के अधीन वेतन को ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से नियत कराए या वेतन को आरंभ में ही जिस पर वह नियमित आधार पर प्रोन्नत किया गया है उस पद के स्तर में अगले उच्चतर सैल में नियत कराए और तत्पश्चात् उस पद के स्तर में, जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, अगली वेतनवृद्धि उद्भूत होने की तारीख को, उसका वेतन पुनः नियत किया जाएगा और उस स्तर में जिससे सरकारी सेवक की प्रोन्नति हुई है, दो वेतन वृद्धियां (पहली वार्षिक वेतनवृद्धि के कारण उद्भूत तथा दूसरी प्रोन्नति के कारण उद्भूत) दी जाएगीं और उसे उस पद पर, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर पर समान अंक वाले सैल में रखा जाएगा और यदि उस पद, जिस पर वह प्रोन्नत किया गया है, के स्तर में कोई ऐसा सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा ।

ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ प्रोन्नति के पश्चात् बिना किसी व्यवधान के नियमित नियुक्ति कर दी जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या प्रोन्नति की तारीख से ग्राह्य होगा जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तारीख के एक मास के भीतर किया जाएगा:

ऐसे मामलों में जहाँ कोई अधिकारी उस पद पर नियमित होने से पूर्व तदर्थ रूप में सेवानिवृत्त हो गया है और तत्पश्चात् उसका नियमितीकरण की प्रक्रिया के दौरान निर्धारण किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे उसके ऐसे कनिष्ठों के साथ ठीक पाया गया है, जो अभी भी सेवा में हैं तथा उस तारीख से जिसको सेवानिवृत्त कर्मचारी भी सेवा में था, विकल्प की सुविधा लेने के लिए पात्र हैं, वहां विकल्प की वही सुविधा सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी उस तारीख से, जब उसके कनिष्ठ विकल्प की सुविधा का उपभोग करने के लिए पात्र हो गए थे, तीन मास के भीतर प्रयोग करने के लिए विस्तारित की जाएगी और उन मामलों में जहाँ ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वयं कनिष्ठतम था, वहां वह उस तारीख से, जिसको उसका आसन्न ज्येष्ठ विकल्प की सुविधा पाने के लिए पात्र हो गया था, तीन मास के भीतर विकल्प सुविधा का प्रयोग कर सकेगा:

परंतु जहां कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद पर नियमित आधार पर अपनी प्रोन्नति या नियुक्ति के ठीक पूर्व निम्नतर पद के स्तर का अधिकतम वेतन ले रहा है, वहां उच्चतर पद के स्तर में उसका प्रारंभिक वेतन नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित निम्नतर पद की बाबत उसका वेतन निम्नतर पद के स्तर में अंतिम वेतनवृद्धि के बराबर रकम को बढ़ाकर उसे प्रोन्नत या नियुक्त किए गए पद के स्तर में समान अंक वाले सैल में नियत किया जाएगा, और यदि उस स्तर में, जिसमें उसे प्रोन्नत या नियुक्त किया गया है, ऐसा कोई सैल उपलब्ध नहीं है, तो उसे उस स्तर में अगले उच्चतर सैल में रखा जाएगा।"

[फा. सं.13/1/2017-स्था.(वेतन-1)]

राजीव बाहरी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम 1 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए थे और ये नियम निम्नलिखित ब्यौरानुसार पूर्व में संशोधित किए गए थे :-

1. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.2 (9)-ई III/61, तारीख 1.02.1963;
2. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(1)-ई III (ए)/65, तारीख 20.02.1965;
3. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 30.11.1965;
4. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए) /64, तारीख 01.10.1966;
5. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(3)-ई III (ए)/64-भाग II, तारीख 18.07.1967;
6. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)-ई III (ए)/68, तारीख 26.04.1968;
7. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(25)-ई III (ए)/64, तारीख 27.05.1970;
8. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.18(13)-ई IV(ए)/70 तारीख 29.01.1971;

9. वित्त मंत्रालय अधिसूचना सं.1(9)-ई-III(ए)/74, तारीख 30.10.1974;

10. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1(6)- पी.यू.आई/79 तारीख 23.11.1979;

11. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना सं.एफ-1(8)-पी.यू.आई/80 तारीख 29.01.1981;

12. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.1/9/79-स्था. (वेतन-1), तारीख 06.10.1983;

13. गृह मंत्रालय अधिसूचना सं.13/5/84-स्था. (वेतन-1), तारीख 17.08.1984;

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना 13/5/84-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.9.1985;

15. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं.11/1/85-स्था.(वेतन-1), तारीख 24.04.1986; तथा

16. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अधिसूचना सं. 1/10/89-स्था.(वेतन-1), तारीख 30.08.1989.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R.370.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, 1922, namely:-

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, 1922, in rule 22, in sub-rule (I), in clause (a), for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(1) where a Government servant holding a post, other than a tenure post, in a substantive or temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity, as the case may be, subject to the fulfillment of the eligibility conditions as prescribed in the relevant Recruitment Rules, to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than those attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale shall be fixed by giving one increment in the level from which the Government servant is promoted and he or she shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the level of the post to which promoted or appointed and if no such cell is available in the level to which promoted or appointed, he shall be placed at the next higher cell in that level.

Save in cases of appointment on deputation to an *ex cadre* post, or to a post on *ad hoc* basis or on direct recruitment basis, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the pay fixed under this rule from the date of such promotion or appointment or to have the pay fixed initially at the next higher cell in the level of the post to which he or she is promoted on regular basis and subsequently, on the date of accrual of next increment in the level of the post from which Government Servant is promoted, his pay shall be re-fixed and two increments (one accrued on account of annual increment and the second accrued on account of promotion) shall be granted in the level from which the Government Servant is promoted and he or she shall be placed, at a cell equal to the figure so